

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :-753/2015
निर्णय दिनांक:-31.05.18

उनवान

पूजा पुत्री बृजमोहन जाति नट निवासी ग्राम नाहरवाडी तहसील निवाड़

- वादी

बनाम

1. भागचन्द पुत्र प्रताबनारायण जाति बैरवा निवासी कस्बा निवाड़
2. ओमप्रकाश पुत्र प्रताबनारायण जाति बैरवा निवासी कस्बा निवाड़
3. शकुन्तला पुत्र प्रताबनारायण जाति बैरवा निवासी कस्बा निवाड़
4. सुशीला पुत्र प्रताबनारायण जाति बैरवा निवासी कस्बा निवाड़
5. गुलाब देवी पत्नि प्रताबनारायण जाति बैरवा निवासी कस्बा निवाड़
6. तहसीलदार निवाड़
7. उपपंजीयक निवाड़

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 क0निवाड़ में पेश हुयी। तहसीलदार निवाड़ से पी.डी. रिपोर्ट प्राप्त। वादीया के हस्ताक्षर पी.डी. पर है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अतः वादीया को वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाड़ से प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. पूजा पुत्री बृजमोहन जाति नट सा. नाहरवाडी खातेदार

| ग्राम का नाम | ख0न0 | रकबा (बीघा में) |
|--------------|--------|-----------------|
| क0निवाड़ | 2730/1 | 01-06 |

2. भागचन्द ओमप्रकाश पिता प्रताबनारायण शकुन्तला सुशीला पुत्रियां प्रताबनारायण गुलाबदेवी पत्नि प्रताबनारायण कौम बैरवा सा. देह खातेदार

| ग्राम का नाम | ख0न0 | रकबा (बीघा में) |
|--------------|--------|-----------------|
| क0निवाड़ | 2730/2 | 01-06 |

तहसीलदार निवाड़ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31 31/5/18
हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाड़
देह खाते निवाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)
(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई)
उनवान

पूजा बनाम भागचन्द वगै.
दावा बाबत तकासमा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :- 75अ/2015

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 क0निवाई में पेश हुयी। तहसीलदार निवाई से पी.डी. रिपोर्ट प्राप्त। वादीया के हस्ताक्षर पी.डी. पर है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अतः वादीया को वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. पूजा पुत्री बृजमोहन जाति नट सा. नाहरवाडी खातेदार

| ग्राम का नाम | ख0न0 | रकबा (बीघा में) |
|--------------|--------|-----------------|
| क0निवाई | 2730/1 | 01-06 |

2. भागचन्द ओमप्रकाश पिता प्रताबनारायण शकुन्तला सुशीला पुत्रियां प्रताबनारायण गुलाबदेवी पत्नि प्रताबनारायण कौम बैरवा सा. देह खातेदार

| ग्राम का नाम | ख0न0 | रकबा (बीघा में) |
|--------------|--------|-----------------|
| क0निवाई | 2730/2 | 01-06 |

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

31 31/5/18
उपखण्ड अधिकारी
निवाई टोंक
कमर कोठे निवाई